गोपनीय

सत्यमेव जयते

## बिहार विधान-सभा सचिवालय

# गहलौर जांच-समिति का प्रतिवेदन

सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
१९७२

# गह्लौर जांच-समिति का प्रतिवेदन

# प्राक्कथन

मुंगेर जिलान्तर्गत सिकन्दरा के पहाड़ी अंचल में दीन-दुःखियों की एक छोटी बस्ती गहलौर में दिनांक ३० अप्रील, १९७३ को सिकन्दरा थाना का एक आरक्षी श्री तौहीद खां दुर्भाग्यवश आहत हो गया। उसके प्रतिकार में २ मई, १९७३ की रात्रि में पुलिस ने छापामारी की। जैसा अभियोग है, आरक्षी को मार धोखे से लगी परन्तु पुलिस ने छापामारी में अक्षम्य अतिक्रमण किया। गैर-प्राथमिकी व्यक्तियों को भी बिना कारण कैद किया गया। लूट-पाट की और सबसे अधिक दुःख की बात है कि महिलाओं के साथ बलात्कार किया। आरक्षी अधिकारियों ने इन अतिक्रमणों पर भारी पर्दा डालने की कोशिश की परन्तु दीन-दुःखी महिलाओं की आवाज लोक-सभा तक जा गूंजी।

बिहार के विधान-सभा में भी श्री त्रिपुरारी प्रसाद सिंह, सदस्य ने इस संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी। सरकारी वक्तव्य के बाद वाद-विवाद में सरगर्मी इतनी बढ़ी कि अन्ततोगत्वा सदन के ११ सदस्यों की एक समिति इस काण्ड की जांच करने के लिये बनी।

समिति ने पूरी छानबीन की। आरक्षी को मार क्यों लगी और कितनी लगी, छापामारी क्योंकर की गई और उसमें आरक्षियों ने क्या-क्या अतिक्रमण किया, अधिकारियों ने क्या भूमिका अदा की, आदि विस्तृत जानकारी के लिये जांच-प्रतिवेदन प्रस्तुत है।

विश्वनाथ मिश्र,
सचिव,
बिहार विधान-सभा
एवं
गहलौर जांच समिति।

# गहलौर जांच समिति के सदस्यगण ।

षष्ठ सत्र, १९७३ ।

(१) श्री शकूर अहमद—उपाध्यक्ष, सभापति ।

सदस्यगण ।

(२) श्री सुनील मुखर्जी, स० वि० स० ।
(३) श्री विजय कुमार मित्र, स० वि० स० ।
(४) श्री हरिहर प्रसाद सिंह, स० वि० स० ।
(५) श्री कर्पूरी ठाकुर, स० वि० स० ।
(६) श्री कपिलदेव सिंह, स० वि० स० ।
(७) श्री जय नारायण, स० वि० स० ।
(८) श्री एस० के० बागे, स० वि० स० ।
(९) श्री सरयू मिश्र, स० वि० स० ।
(१०) श्री राम शरण प्रसाद सिंह, स० वि० स० ।
(११) श्री भीष्म प्रसाद यादव, स० वि० स० ।

सभा-सचिवालय ।

श्री विश्वनाथ मिश्र, सचिव ।
श्री राजेश्वर प्रसाद मंडल, संयुक्त सचिव ।
श्री जयनन्दन पांडेय, सहायक सचिव ।
श्री विश्वनाथ प्रसाद वर्मा, प्रशाखा पदाधिकारी ।

बिहार विधान-सभा सचिवालय ।

# गहलौर जांच समिति का प्रतिवेदन ।

---

विषय ।


| | |
|---|---|
| | पृष्ठ । |
| (१) भूमिका .. .. .. .. | *i—v* |
| (२) मन्तव्य और निष्कर्ष .. .. .. | १—२४ |
| १। परिशिष्ट "क" । | |
| केस रिकार्ड (प्रदर्श) की प्रतिलिपियां (प्रदर्श १ से २६) .. | २५—७३ |
| २। परिशिष्ट "ख" । | |
| समिति द्वारा लिये गये मौखिक साक्ष्य (साक्षी संख्या १ से ६६) .. | ७४—९९ |